राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 25 जून, 2010 / 4 आषाढ़, 1932

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 24 जून, 2010

सं0पी0बी0डब्ल्यू0;बी0एफ(5)68 / 2009.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव रजियाणा, तहसील कांगडा, जिला कांगडा में कांगड़ा से टाडा ठानपुरी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव 'एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन भू–अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग (उ0 क्षेत्र) कांगडा को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (उ0 क्षेत्र) कांगडा के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न0	रकवा (है0) में
कांगड़ा	कांगड़ा	रजियाणा	3017 / 477 / 1	0–00–97
			478 / 1	0–00–04
			482 / 1	0–00–18
			2827 / 484 / 1	0–00–74
			2828 / 484 / 1	0–00–49
			2829 / 485 / 1	0–00–05
			2830 / 485 / 1	0–00–05
			2837 / 486 / 1	0–00–26
			2833 / 486 / 1	0–00–14
			2834 / 486 / 1	0–00–06
			2835 / 486 / 1	0–00–10
			2915 / 2836 / 1	0–00–60
			2916 / 2836 / 1	0–00–28
			2917 / 2836 / 1	0–00–60
			543 / 1	0–00–05
			545 / 1	0–00–14
			3094 / 551 / 1	0–00–20
		कुल किता	17	0–04–95

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव ।

————————

IRRIGATION & PUBLIC HEALTH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 11th June, 2010

No.IPH-B(F)-4-7/2005-II.—Ministry of Water Resources, Govt. of India invites nominations for "Ground Water Augmentation Awards" and "National Water Awards" for the year 2009 for innovative practices in ground water augmentation through Rain Water Harvesting and Artificial Recharge for six categories namely NGOs, Gram Panchayats, Urban Local Bodies, Institutes implementing Farmer's Participatory Action Research Programme, Corporate Sector and individuals/ Institutions, therefore, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare IPH Department a Nodal Department for this purpose.

2. The Governor, Himachal Pradesh further pleased to constitute a State Level Screening Committee comprising of the following members:—

1.	Engineer-in-Chief	Chairman
2.	Director, Agriculture	Member
3.	Regional Director, CGWB	Member

3. The Committee will scrutinize and short list the nominations which will be later forwarded in each category given above to Ministry of Water Resources by 31st July, 2010.

4. This Notification has already been uploaded on e-Gazette of H.P. Govt. Website.

By order,
Sd/-
Principal Secretary.

IRRIGATION & PUBLIC HEALTH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 19th June, 2010

No.IPH-B(F)-1-1/2010.—In pursuance to the provisions of Para-20 & 21 of Financial Commissioner's (Revenue) Standing Order No.28, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute Negotiation Committee for negotiating the rate(s) of private land proposed to be acquired for Irrigation & Public Health Department comprising the following :—

1.	Deputy Commissioner/ ADM	Chairman
2.	SDM/Tehsildar	Member
3.	Superintending Concerned IPH Circle	Engineer Member
4.	Executive Engineer Concerned IPH Division	Member Secretary

2. The above mentioned Committee shall negotiate the rates after issuance of notification under section 4 of Land Acquisition Act and shall furnish its recommendations through Engineer-in Chief, IPH, H.P. for final approval of the Government.

3. This Notification has already been uploaded on e-Gazette of H.P. Govt. Website.

By order
Sd/-
Principal Secretary.

IRRIGATION & PUBLIC HEALTH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 19 th June, 2010

No. IPH-B -(A)-1-1/2009.—In continuation of this Department's Notification of even number dated 30th July, 2009, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to nominate Shri Rajendra Singh, 34/24 Kiran Path, Mansarovar, Jaipur-302020 as Non-Official Member(Special invitee) of the Himachal Pradesh Water Management Board (हिमाचल प्रदेश जल प्रबन्धन बोर्ड) with immediate effect in public interest.

The TA/DA for the work of H.P. Water Management Board will be admissible as admissible for Gr.–I Officers of the Govt.

By order
Narinder Chauhan
Principal Secretary.

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 24 जून, 2010

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0)एफ0 (5) 53 / 2010.——यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव सिहंल, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर में जोगिन्द्रनगर–सरकाघाट–घुमारवीं सड़क के निर्माण करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू–अर्जन सर्माहता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता हैं ।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	बीघा–बिस्वा
बिलासपुर	घुमारवीं	सिहंल	131 / 1	0–13
			143 / 1	0–6
			147 / 1	0–12
		कुल जोड़	किता–3	1–11

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव।

————————

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 24 जून, 2010

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0)एफ0 (5) 46 / 2010.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव मसौर, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर में जोगिन्द्रनगर–सरकाघाट–घुमारवीं सड़क के निर्माण करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते है।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर भू– अर्जन सर्माहता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता हैं ।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	बीघा–बिस्वा
बिलासपुर	घुमारवीं	मसौर	318 / 1	0–6
		कुल जोड़	किता–1	0–6

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव।

ब अदालत नायब तहसीलदार, सुजानपुर, ब अख्त्यार सब रजिस्ट्रार, सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नम्बर 1 / 09

श्री रत्न चन्द पुत्र श्री मुन्शी राम, टीका कंगरी, मौजा चबुतरा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश .. प्रार्थी।

बनाम

श्री मुन्शी राम पुत्र श्री जौहन्डू राम, व्यासा देवी पत्नी श्री बकशी राम, श्रीमती धर्मो देवी पत्नी श्री धर्म सिंह, श्रीमती तारो देवी पत्नी श्री विधि चन्द, श्री हरनाम सिंह पुत्र श्री गरीब दास, श्रीमती राजकुमारी पत्नी श्री जीत सिंह, श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री जौहन्डू राम आम जनता साकनान टीका कंगरी, मौजा चबुतरा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

विषय.– प्रार्थना–पत्र बावत किये जाने पंजीकरण वसीयतनामा जेर धारा 40–41 भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908.

नोटिस बनाम आम जनता . .प्रतिवादीगण।

उपरोक्त विषय पर आम जनता को बजरिया इश्तहार हिमाचल प्रदेश राजपत्र से सूचित किया जाता हे कि श्री रतन चन्द पुत्र श्री मुन्शी राम ने इस कार्यालय में दिनांक 21–10–2009 को एक प्रार्थना–पत्र पेश किया है कि मेरी दादी श्रीमती चिन्ती देवी दिनांक 24–9–2008 को स्वर्गवास हो चुकी है, श्रीमती चिन्ती देवी ने अपने जीते जी एक वसीयतनाम श्री रतन चन्द पुत्र श्री मुन्शी राम वासी टीका कंगरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर के नाम तहरीर करवाया है। अतः यह वसीयतनामा उपरोक्त प्रार्थी ने इस अदालत में बराये पंजीकरण हेतु पेश किया है।

अगर इस वसीयतनामा के पंजीकृत होने में किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 30–6–2010 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में हाजिर आकर अपना उजर या एतराज पेश करे अन्यथा आम जनता के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर वसीयतनामा पंजीकृत कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 31–5–2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

नायब तहसीलदार, सुजानपुर,
ब अख्त्यार सब रजिस्ट्रार, सुजानपुर,
जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत श्री कमल कान्त सरोच, समाहर्ता, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

किस्म मुकद्दमा–अपील तकसीम।

मुकद्दमा नं0 27 / 2006. तारीख पेशी : 13–7–2010

श्री जोगिन्द्र शर्मा सुपुत्र श्री प्रेम दास, निवासी गणेष बाजार, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, .. प्रार्थी।

बनाम

1. वंश दीप, 2. अमन दीप (नाबालिग) सुपुत्रान बल राम सुपुत्र श्री हरविलास, निवासी गणेष बाजार, बैजनाथ बजरिया Court Guardian हरविलास सुपुत्र श्री विशन दास, निवासी गणेष बाजार, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, 3. अजय, 4. युद्धवीर सुपुत्रान स्व0 श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी स्व0 श्री राम दयाल, निवासी गणेष बाजार, बैजनाथ, 5. रजनी देवी सुपुत्री स्व0 श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी स्व0 श्री राम दयाल हाल पत्नी श्री अनिल कटोच, निवासी वण्डियां खोपा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

अपील दरुस्ती जेर धारा 14 हि0 प्र0 भू–राजस्व अधिनियम विरुद्ध आदेश दरुस्ती सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, दिनांक 6–6–2006 शीर्षक जोगिन्द्र शर्मा बनाम वंशदीप आदि बाबत भूमि खाता नं0 232, खतौनी नम्बर 540, खसरा नम्बरान 156, 157, रकबा 0–00–92 है0 में से 0–00–57 है0 इकरारनामा दिनांक 18–9–80 व भूमि खाता नं0 232, खतौनी नं0 450, खसरा नं0 155 में से इकरारनामा दिनांक 5–12–1996, वाक्या मुहाल कस्बा, मौजा व तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

श्री जोगिन्द्र शर्मा सुपुत्र श्री प्रेम दास, निवासी गणेष बाजार, बैजनाथ ने इस अदालत में दरुस्ती की अपील दायर की है जिसमें प्रतिवादी नं0 5 श्री युद्धवीर की साधारण तरीके से समन की तामील नहीं हो पा रही है तथा न ही प्रतिवादी का सही पता मालूम हो रहा है।

अतः प्रतिवादी नं0 5 श्री युद्धवीर सुपुत्र स्व0 श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी स्व0 श्री राम दयाल, निवासी गणेष बाजार, बैजनाथ, हाल निवासी युद्धवीर सिंह कांस्टेबल सुपुत्र श्री राम दयाल लगवाल सदर थाना शिमला, हिमाचल प्रदेश को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 13–7–2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर मुकद्दमा की पैरवी करे अन्यथा गैर–हाजरी की सूरत में कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 8–6–2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। कमल कान्त सरोच,
समाहर्ता,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 644.

श्री Tshering Damdul बनाम आम जनता आदि

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Tshering Damdul पुत्र श्री Lhundup, निवासी मकलोडगंज, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी भतीजी Kalsang Lhamo की जन्म तिथि 23–7–1980 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Kalsang Lhamo का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 12–7–2010 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 5–6–2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत श्री जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री अनिल कुमार बनाम आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री अनिल कुमार पुत्र श्री सुचा सिंह, निवासी बाल्मिकी कलोनी धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री अंजली की जन्म तिथि 23–11–2003 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त अंजली का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 23–7–2010 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 7–6–2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

जे0 आर0 शर्मा,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत श्री जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री अरविन्द शर्मा बनाम आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री अरविन्द शर्मा पुत्र श्री जोगिन्द्र शर्मा, निवासी राम नगर, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री शाम्भवी की जन्म तिथि 1–11–2006 है परन्तु ग्राम पंचायत मन्त में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त शाम्भवी की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 4–8–2010 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 8–6–2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। जे0 आर0 शर्मा,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

————

ब अदालत श्री जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री तिलक राज बनाम आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री तिलक राज पुत्र श्री झंडू राम, निवासी भटेहड़ (पासू), तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री अंकिता की जन्म तिथि 7–10–2005 है परन्तु ग्राम पंचायत पंतेहड़ (पासू) में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त अंकिता का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 4–8–2010 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 8–6–2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

जे0 आर0 शर्मा,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

————

ब अदालत श्री जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री सतीश कुमार बनाम आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री सतीश कुमार पुत्र श्री औंकार सिंह, निवासी घरोह, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र वंश कुमार की जन्म तिथि 11–11–2006 है परन्तु ग्राम पंचायत घरोह में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त वंश कुमार का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 23–7–2010 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 8–6–2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

जे0 आर0 शर्मा,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

———————

PUBLIC NOTICE

In the Court of Naib Tehsildar-cum-**Executive Magistrate, Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh**

1. Shri Sanjeev Sapahiya s/o Shri Chamel Singh, 2. Smt. Vandana w/o Shri Sanjeev Sapahiya, r/o Sheela Chowk P. O. Dari, Tehsil Dharamshala . . *Applicants.*

Versus

1. General Public, 2. The Registrar of Marriages, G. P. Tang Narwana.

Subject.—Registration of marriage under section 8 (4) of the H. P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).

Whereas the above named applicants have made an application under section 8 (4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 8-5-2004 at Sheela Chowk but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages, Gram Panchayat Tang Narwana.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, they should appear before the court of undersigned on 12-7-2010 at Tehsil Office Dharamshala at 10.00 A. M. either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed *ex-parte* for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on this 15th day of June, 2010.

Seal.

Sd/-
Naib Tehsildar-cum-*Executive Magistrate,*
Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh.

PUBLIC NOTICE

In the Court of Shri J. R. Sharma, Tehsildar-cum-**Executive Magistrate, Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh**

1. Shri Rajesh Thapa s/o Shri durga Singh Thapa, r/o Shamnagar
2. Smt. Sarika d/o Shri Karan Bahadur, r/o Sidhbari . . *Applicants.*

Versus

1. General Public, 2. The Registrar of Marriages, Mant.

Subject.—Registration of marriage under section 8 (4) of the H. P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).

Whereas the above named applicants have made an application under section 8 (4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 22-6-2007 at Mant (Shamnagar) but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages, Mant.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, they should appear before the court of undersigned on 23-7-2010 at Tehsil Office Dharamshala at 10.00 A. M. either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed *ex-parte* for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on this 9th day of June, 2010.

Seal. J. R. SHARMA,
Tehsildar-cum-*Executive Magistrate,*
Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh.

ब अदालत श्री पी0 एस0 नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री रमेश कुमार पुत्र श्री मनोहर दास उर्फ झामरी पुत्र श्री मान सुख, निवासी गांव डकोलड़, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

दरख्वास्त दरुस्ती नाम खाता नं0 157 वाका चक शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

दरख्वास्त नाम दरुस्ती कागजात माल इस अदालत में श्री रमेश कुमार पुत्र श्री मनोहर दास उर्फ झामरी पुत्र श्री मान सुख निवासी गांव डकोलड़, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि प्रार्थी के पिता का नाम खाता नं0 157 वाका चक शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में झामरी दर्ज कागजात माल है, ग्राम पंचायत शिंगला के अभिलेख में मनोहर दास दर्ज है। प्रार्थी के पिता को दोनो नामों से जाना जाता है इसलिए माल कागजात में पिता का नाम झामरी उर्फ मनोहर दास दर्ज / दरुस्त करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता का नाम झामरी उर्फ मनोहर दास दर्ज / दरुस्त करने बारा किसी व्यक्ति का किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 9–7–2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एजराज पेश कर सकता है अन्यथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 8–6–2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। पी0 एस0 नेगी,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत श्री एस0 एल0 बन्सल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती मणी देवी पुत्री श्री धर्म दास, निवासी गांव चिकसा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ..वादी।

बनाम

आम जनता ..प्रतिवादी।

प्रार्थना–पत्र बाबत क्षेत्रीय पंचायत कुहल–पटैना के परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती मणी देवी पुत्री श्री धर्म दास, निवासी गांव चिकसा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि प्रार्थीया अपने पति श्री गुलाब सिंह से दिनांक 20–4–1992 से अलग हो गई है। प्रार्थीया अकेली ही रहती है। इसलिए क्षेत्रीय पंचायत कुहल–पटैना के परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करवाना चाहती है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्रीमती मणी देवी पुत्री श्री धर्म दास, निवासी गांव चिकसा के क्षेत्रीय पंचायत कुहल–पटैना के परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करने बारे किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह 9–7–2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एजराज पेश कर सकता है।

आज दिनांक 8–6–2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। एस0 एल0 बन्सल,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री एस0 एल0 बन्सल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

नं0 मुकद्दमा : 28 / 08, 29 / 08. तारीख दायर : 1 / 7 / 2008.

श्रीमती कान्ती देवी उपनाम कलमपति पुत्री श्री मोतू, गांव खमाडी, हालाबाद, पत्नी शाडू राम, गांव झमाली, चक गाहण, उप–तहसील ननखरी रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ..प्रार्थी।

बनाम

1. श्रीमती सन्ती पुत्री जोगड़ी, निवासी गांव खमाडी, उप–तहसील ननखड़ी, जिला शिमला, (हि0 प्र0)
2. कु0 सन्तोष पुत्री लच्छी धीरु, निवासी गांव खमाडी, उप–तहसील ननखड़ी, जिला शिमला, (हि0 प्र0)
3. श्री दिना लाल पु0 भैली, गांव खमाडी, उप–तहसील ननखड़ी, जिला शिमला, (हि0 प्र0)
4. श्रीमती रुकमी देवी विधवा लच्छी, गांव खमाडी, उप–तहसील ननखड़ी, जिला शिमला, (हि0 प्र0)
5. श्री टरकू राम पुत्र श्री लच्छी, गांव खमाडी, उप–तहसील ननखड़ी, जिला शिमला, (हि0 प्र0)
6. श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री लच्छी, गांव खमाडी, उप–तहसील ननखड़ी, जिला शिमला, (हि0 प्र0)
7. श्री मुनू राम पुत्र श्री भैली, गांव खमाडी, उप–तहसील ननखड़ी, जिला शिमला, (हि0 प्र0)
8. श्रीमती कागदू पुत्री दिगदू हाल पत्नी श्री रीखी, गांव चमाडा, उप–तहसील ननखड़ी, जिला शिमला
9. श्रीमती मालरी पुत्री भैली, गांव खमाडी, उप–तहसील ननखड़ी, जिला शिमला, (हि0 प्र0)
10. श्रीमती बिरमा देवी पुत्री भैली, गांव खमाडी, उप–तहसील ननखड़ी, जिला शिमला, (हि0 प्र0)
11. श्रीमती गुलाबी पुत्री दिगदू हाल पत्नी श्री रीखी, गांव चमाडा, उप–तहसील ननखड़ी, जिला शिमला

..प्रतिवादी।

दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0 रा0 अ0 1954 बाबत खाता / खतौनी नं0 55 व 56 वाका चक खमाडी, उप–तहसील ननखड़ी, जिला शिमला, (हि0 प्र0)।

प्रार्थीया श्रीमती कान्ती देवी उपनाम कलमपति पुत्री श्री मोतू, गांव खमाडी, हालाबाद, पत्नी शाडू राम, गांव झमाली, चक गाहण, उप–तहसील ननखरी रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अराजी खाता / खतौनी नं0 55 व 56 वाका चक खमाडी, उप–तहसील ननखड़ी, जिला शिमला, (हि0 प्र0) का तकसीम प्रकरण इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी नं0 1 ता 11 की तामील बार–बार समन जारी करने के उपरान्त भी अदालत में नहीं हो पा रही है। जिस कारण इस अदालत को यकीन हो चुका है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। इन प्रतिवादी की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चला आ रहा है। अतः प्रतिवादी 1 ता 11 को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 5–7–2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आयें। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जाएगा कि आपको इस खाता की तकसीम बारा किसी भी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 5–6–2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

एस0 एल0 बन्सल,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री एस0 एल0 बन्सल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

नं0 मुकद्दमा : 24 / 10, 25 / 10,26 / 10,27 / 10,28 / 10. तारीख दायर : 16 / 2 / 2010.

श्री तंगडू पुत्र श्री मटू, गांव निनणू, चक निरथ, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ..प्रार्थी।

बनाम

1. श्रीमती कलमी पुत्री श्री मिचरू, निवासी ग्राम निनणू, (बरकेली), तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला
2. श्रीमती शांकरी पुत्री श्री बिशनी, निवासी ग्राम निनणू, (बरकेली), तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला
3. श्रीमती द्रुबू पुत्री श्री बिशनी, निवासी ग्राम निनणू, (बरकेली), तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला
4. श्रीमती शुकरी पुत्री मटू, निवासी ग्राम निनणू, (बरकेली), तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला

..प्रतिवादी।

दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0 रा0 अ0 1954 बाबत खाता नं0 42, चक बरकेली, खाता नं0 110, खाता नं0 111, खाता नं0 112 चक निरथ व खाता नं0 116, वाका चक निरथ, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, (हि0 प्र0)।

प्रार्थी श्री तंगडू पुत्र श्री मटू, गांव निनणू, चक निरथ, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अराजी खाता नं0 42, चक बरकेली, खाता नं0 110, खाता नं0 111, खाता नं0 112 चक निरथ व खाता नं0 116, वाका चक निरथ, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, (हि0 प्र0) के तकसीम प्रकरण इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी नं0 1 ता 4 की तामील बार–बार समन जारी करने के उपरान्त भी अदालत में नहीं हो पा रही है। जिस कारण इस अदालत को यकीन हो चुका है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। इन प्रतिवादी की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चला आ रहा है। अतः प्रतिवादी 1 ता 4 को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 5–7–2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आयें। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जाएगा कि आपको इस खाता की तकसीम बारा किसी भी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 4–6–2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। एस0 एल0 बन्सल,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत श्री एस0 एल0 बन्सल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश

नं0 मुकद्दमा : 57 / 10, 58 / 10. तारीख दायर : 2–4–2010.

श्री हिरा लाल पुत्र श्री काहन चन्द, गांव सनारसा, डा0 धार–गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ..प्रार्थी।

बनाम

1. श्री बिशन दास पुत्र श्री काहन चन्द, निवासी गांव धारा–सरगा, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
2. श्री वेद प्रकाश पुत्र श्री किशन दास, निवासी ग्राम कुशवा, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
3. श्रीमती सरसा देवी पुत्री श्री किशन दास, गांव सनारसा, हालाबाद पत्नी श्री शेर सिंह, गांव धार–गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) .. प्रतिवादी।

दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0 रा0 अ0 1954 बाबत खाता नं0 81 व 82, वाका चक सनारसा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

प्रार्थी श्री हिरा लाल पुत्र श्री काहन चन्द, गांव सनारसा, डा0 धार–गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अराजी खाता नं0 81 व 82, वाका चक सनारसा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) के तकसीम प्रकरण इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी नं0 1 ता 3 की तामील बार–बार समन जारी करने के उपरान्त भी असालतन नहीं हो पा रही है। जिस कारण इस अदालत को यकीन हो चुका है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। इन प्रतिवादी की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चले आ रहे हैं। अतः प्रतिवादी नं0 1 ता 3 को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 5–7–2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आयें। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जाएगा कि आपको इन खाता की तकसीम बारा किसी भी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 5–6–2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

एस0 एल0 बन्सल,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

———————

ब अदालत श्री एस0 एल0 बन्सल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला
हिमाचल प्रदेश

नं0 मुकद्दमा : 46 / 10, 47 / 10. तारीख दायर : 2–4–2010.

1. श्री हिरा दास पुत्र श्री बिजू राम, गांव कोठी, डा0 धार–गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
2. श्री कर्म सिंह पुत्र श्री बिजू राम, गांव कोठी, डा0 धार–गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) .. प्रार्थीगण।

बनाम

1. श्रीमती राधा देवी पत्नी श्री लाहिया राम मिचरू, निवासी ग्राम बाड़ी, डा0 अरसू, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

2. श्रीमती उमा देवी पत्नी श्री तेजू नेगी, निवासी ग्राम पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

3. श्रीमती सन्तोष पत्नी श्री भगत सिंह नेगी, निवासी ग्राम गरेड, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) .. प्रतिवादी।

दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0 रा0 अ0 1954 बाबत खाता नं0 5 व 6, वाका चक कोठी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

प्रार्थी श्री हिरा दास व श्री कर्म सिंह पुत्रगण श्री बिजू राम, गांव कोठी, डा0 धार–गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अराजी खाता नं0 5 व 6, वाका चक कोठी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) के तकसीम प्रकरण इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी नं0 1 ता 3 की तामील बार–बार समन जारी करने के उपरान्त भी असालतन नहीं हो पा रही है। जिस कारण इस अदालत को यकीन हो चुका है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। इन प्रतिवादी की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चले आ रहे हैं। अतः प्रतिवादी नं0 1 ता 3 को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 5–7–2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आयें। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जाएगा कि आपको इस खाता की तकसीम बारा किसी भी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 5–6–2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। एस0 एल0 बन्सल,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत श्री एस0 एल0 बन्सल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला
हिमाचल प्रदेश

नं0 मुकद्दमा : 21/10. तारीख दायर : 1–2–2010.

श्री राम जोर पुत्र श्री श्यामा नन्द, गांव चण्डी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
.. प्रार्थी।

बनाम

1. श्री उतम चन्द पुत्र श्री नोई राम, गांव चण्डी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
2. श्रीमती झूरी देवी पुत्री श्री नोई राम, गांव चण्डी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) हालाबाद पत्नी श्री ज्ञान चन्द, गांव बराण्डा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
3. श्री मोती लाल पुत्र श्री भीमी, गांव चण्डी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
4. श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री अमर सिंह, गांव नन्ती, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
5. श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी श्री दिपू, गांव गानवी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
6. श्रीमती सुनीता देवी पुत्री श्री सैंज राम, गांव चण्डी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
7. श्रीमती गुरदासी पुत्री श्री बेली राम, गांव बौण्डा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
8. श्रीमती गंगी पुत्री श्री भीमी, गांव चण्डी–ब्राण्डा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

.. प्रतिवादी।

दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0 रा0 अ0 1954 बाबत खाता/खतौनी नं0 33/90 ता 97, अराजी किते 55, रकबा तादादी 05–92–49 है0 वाका उप–चक चण्डी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

प्रार्थी श्री राम जोर पुत्र श्री श्यामा नन्द, गांव चण्डी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अराजी खाता/खतौनी नं0 33/90 ता 97, अराजी किते 55, रकबा तादादी 05–92–49 है0 वाका उप–चक चण्डी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) का तकसीम प्रकरण इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी नं0 1 ता 8 की तामील बार–बार समन जारी करने के उपरान्त भी असालतन नहीं हो पा रही है। जिस कारण इस अदालत को यकीन हो चुका है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। इन प्रतिवादी की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चले आ रहे हैं। अतः

प्रतिवादी नं0 1 ता 8 को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 5–7–2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आयें। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जाएगा कि आपको इस खाता की तकसीम बारा किसी भी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 5–6–2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। एस0 एल0 बन्सल,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत श्री एस0 एल0 बन्सल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला
हिमाचल प्रदेश

नं0 मुकद्दमा : 51 / 10. तारीख दायर : 2–4–2010.

1. श्री टोटी पुत्र श्री रबदू पुत्र श्री नखरू, गांव बठारा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ..प्रार्थी।

बनाम

1. श्रीमती बालू देवी पुत्री श्री धीरु, निवासी गांव बठारा, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
2. श्रीमती बालमा देवी पुत्री श्री धीरु, निवासी गांव बठारा, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
3. श्री सुनील कुमार पुत्र श्री श्याम लाल, गांव बठारा, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
4. कुमारी पूजा देवी पुत्री श्री श्याम लाल, गांव बठारा, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
5. श्री प्रभू लाल पुत्र श्री बहादुर सिंह, गांव बठारा, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
6. श्री राम सिंह पुत्र श्री कांशी राम, गांव बठारा, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
7. श्री सबर सिंह पुत्र श्री देवी सरन, गांव कोटला, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ..प्रतिवादी।

दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0 रा0 अ0 1954 बाबत खाता / खतौनी नं0 151 / 363 ता 369, अराजी किते 21, रकबा तादादी 01–16–14 है0 वाका चक मझगांव, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

प्रार्थी श्री टोटी पुत्र श्री रबदू पुत्र श्री नखरू, गांव बठारा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अराजी खाता / खतौनी नं0 151 / 363 ता 369, अराजी किते 21, रकबा तादादी 01–16–14 है0 वाका चक मझगांव, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) का तकसीम प्रकरण इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी नं0 1 ता 7 की तामील बार–बार समन जारी करने के उपरान्त भी असालतन नहीं हो पा रही है। जिस कारण इस अदालत को यकीन हो चुका है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। इन प्रतिवादी की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चले आ रहे हैं। अतः प्रतिवादी नं0 1 ता 7 को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 5–7–2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आयें। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जाएगा कि आपको इस खाता की तकसीम बारा किसी भी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 5–6–2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। एस0 एल0 बन्सल,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री रामजी दास पुत्र श्री दीला राम, ग्राम बाहणी, ग्राम पंचायत चियोग, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी।

आवेदन–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री श्री रामजी दास पुत्र श्री दीला राम, ग्राम बाहणी, ग्राम पंचायत चियोग, तहसील ठियोग, जिला शिमला ने अपने पुत्र राकेश कुमार जिसकी जन्म तिथि 25–1–1965 है को परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत चियोग में दर्ज करनवाने हेतु आवेदन–पत्र गुजार रखा है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारा किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 26–7–2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 11–6–2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। मनोज चौहान,
उपमण्डल दण्डाधिकारी,
ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

————

ब अदालत श्री मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री जीत राम पुत्र श्री माठू राम, ग्राम बघारो, ग्राम पंचायत बासा ठियोग, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी।

आवेदन–पत्र नाम दरुस्ती बारे।

श्री जीत राम पुत्र श्री माठू राम, ग्राम बघारो, ग्राम पंचायत बासा ठियोग, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अपने पुत्र के नाम दरुस्ती बारे आवेदन दिया है। प्रार्थी के पुत्र का नाम ग्राम पंचायत बासा ठियोग के परिवार अभिलेख में महेन्द्र की जगह महेश दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र गुजार रखा है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारा किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 27–7–2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। मनोज चौहान,
उपमण्डल दण्डाधिकारी,
ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत उपमण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी ग्राम जामना, उप–तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

सचिव ग्राम पंचायत जामना, उप–तहसील कमरऊ

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, निवसी ग्राम जामना, उप तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर ने इस कार्यालय में आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है कि मोनिका देवी पुत्री श्री उदय सिंह, निवासी ग्राम सड़यार, उप तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर व उसके पुत्र राज तोमर है। ग्राम पंचायत जामना के अभिलेख में गलती से गुलाब सिह के नाम दर्ज है जो कि अब प्रार्थी श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री अमर सिंह के नाम दर्ज किया जाएगा।

अतः सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त मोनिका देवी व उसके बच्चे राज तोमर प्रार्थी बलदेव सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी ग्राम जामना, सब तहसील कमरऊ के नाम ग्राम पंचायत जामना के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 26–7–2010 से पूर्व इस कार्याय में असालतन व वकालतन प्रस्तुत कर सकता है यदि उक्त इन्द्राज बारा कोई एतराज प्राप्त न हुआ तो यह समझा जाएगा कि उक्त इन्द्राज बारे किसी को एतराज न है तथा प्रामाण–पत्र जारी कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 18–5–2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
उपमण्डल दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर,
हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना, तहसील व जिला ऊना,
हिमाचल प्रदेश

श्रीमती निर्जला देवी बनाम आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती निर्जला देवी पत्नी श्री जीत राम, निवासी बसोली, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी सास श्रीमती रोशनी देवी की मृत्यु गांव बसोली, ऊना में दिनांक 4–9–2005 को हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण होने बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 5–7–2010 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन / वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएंगे।

आज दिनांक.....को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/–
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

————

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना, तहसील व जिला ऊना,
हिमाचल प्रदेश

श्री अरुण प्राशर बनाम आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री अरुण प्राशरन पुत्र श्री बलदेव चन्द, निवासी सन्तोखगढ़, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी पुत्री अक्षी प्राशर का जन्म गांव सन्तोखगढ़ में दिनांक 27–8–1990 को हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 3–7–2010 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएंगे।

आज दिनांक 26–5–2010 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/–
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

————

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना, तहसील व जिला ऊना,
हिमाचल प्रदेश

श्री गिरधारी लाल बनाम आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री गिरधारी लाल पुत्र श्री गुरदास राम, निवासी पन्डोगा, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके भाई श्री तेजा सिंह की मृत्यु गांव पन्डोगा, ऊना में दिनांक 16–12–1990 को हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण होने बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 5–7–2010 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन / वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएंगे।

आज दिनांक 29–5–2010 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

———————

ब अदालत श्री आर0 सी0 कटोच, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री राजेश कुमार पुत्र श्री जगदीश चन्द, निवासी महाल टकोली, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र बाबत नाम दरुस्ती पंचायत रिकार्ड।

श्री राजेश कुमार पुत्र श्री जगदीश चन्द, निवासी महाल टकोली, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम स्कूल प्रमाण–पत्र पंचायत रिकार्ड व अन्य दस्तावेज में राजेश कुमार दरुस्त दर्ज है, परन्तु उसकी पुत्री के जन्म तिथि प्रमाण–पत्र पर उसका नाम जस्सी पुत्र जगदीश चन्द गलत दर्ज कर दिया गया है, जिससे उसे कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए उसका नाम उसकी पुत्री के जन्म तिथि प्रमाण–पत्र पर जस्सी की बजाए राजेश कुमार पुत्र श्री जगदीश चन्द दरुस्त दर्ज करने के आदेश पारित किए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार मुनादी हिमाचल प्रदेश राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दरुस्ती बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह निर्धारित तिथि पेशी दिनांक 30–6–2010 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपनी आपत्ति या एतराज प्रस्तुत कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 4–6–2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। आर0 सी0 कटोच,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री आर0 सी0 कटोच, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री जयबीर पुत्र श्री जुलफी राम, निवासी महाल मुच्छाली, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र बाबत नाम दरुस्ती कागजात माल।

श्री जयबीर पुत्र श्री जुलफी राम, निवासी महाल मुच्छाली, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम स्कूल प्रमाण–पत्र पांयत रिकार्ड व अन्य दस्तावेज में जयबीर पुत्र श्री जुलफी राम दरुस्त है, परन्तु कागजात माल में उसका नाम जसबीर पुत्र जुल्फी राम गलत दर्ज चला आ रहा है। इसलिए कागजात माल में प्रार्थी का नाम जसबीर की बजाए जयबीर पुत्र श्री जुलफी राम दरुस्त दर्ज करने के आदेश पारित किए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार मुनादी हिमाचल प्रदेश राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दरुस्ती बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह निर्धारित तिथि पेशी दिनांक 5–7–2010 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपनी आपत्ति या एतराज प्रस्तुत कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 7–6–2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

आर0 सी0 कटोच,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत श्री आर0 सी0 कटोच, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

1. श्री जोगिन्दर पाल पुत्र श्री किशोरी लाल, 2. दीप्ती भारद्वाज पत्नी श्री जोगिन्दर पाल, निवासी महाल चौकी मन्यार, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र पंचायत रिकार्ड में शादी पंजीकरण करने बारे।

श्री जोगिन्दर पाल पुत्र श्री किशोरी लाल आदि प्रार्थीगण, निवासी महाल चौकी मन्यार, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है कि उनकी शादी दिनांक 21–11–2008 को दीप्ती भारद्वाज पुत्री श्री जय गोपाल भारद्वाज, वासी सुरला (नाहन), जिला सिरमौर से हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार हुई थी, परन्तु अज्ञानतावश वह अपनी शादी ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज न करवा सके हैं, जिसे दर्ज करने के आदेश पारित किए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार मुनादी हिमाचल प्रदेश राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त शादी दर्ज पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह निर्धारित तिथि पेशी दिनांक 5–7–2010 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपनी आपत्ति या एतराज प्रस्तुत कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 5–6–2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

आर0 सी0 कटोच,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

———————

भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग
राज्य पुरातत्त्व

अधिसूचना

शिमला–2, 22 जून, 2010

संख्या एल0सी0डी0–(एफ)(1)–3 / 2009.–राज्य सरकार की यह राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक, राज्य महत्व का है;

अतः, हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातात्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम संख्यांक 32) की धारा 4 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा उक्त प्राचीन संस्मारक को राज्य महत्त्व का घोषित करने का अपने आश्य का, दो मास का नोटिस देती है;

उक्त संस्मारक के राज्य महत्व की घोषणा के किसी आक्षेप पर, जो उक्त प्राचीन संस्मारक में हितबद्ध किसी व्यक्ति से राजपत्र में, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, दो मास की उक्त अवधि के भीतर, प्राप्त किया जा सकेगा, पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा । आक्षेप प्रधान सचिव, राज्य पुरातत्व, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002 को भेजे जा सकेंगे ।

आदेश द्वारा,
मनीषा नंदा,
प्रधान सचिव।

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	परगना / फाटी	मौजा	संस्मारक का नाम	संरक्षण के लिए प्रस्तावित राजस्व खसरा नं0	क्षेत्र हैक्टेयर	स्वामित्व	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा	जयसिंहपुर	जयसिंहपुर	जयसिंहपुर	जानकी नाथ मंदिर	457 465 470 471 472	00–02–69 बंजर दीम 00–07–41 बंजर दीम 00–04–80 गैरमुमकिन मंदिर 00–09–06 बंजर दीम 00–12–47 बंजर दीम	मन्दिर श्री जानकी नाथ वहितमाम दीनानाथ पुत्र कृष्ण चन्द पुत्र अनन्त राम स्थानीय निवासी मोहितमिम कमेटी मन्दिर	473
					किता 5	कुल	00–36–43		
						बंजर कदीम 00–31–63 गैरमुमकिन मंदिर 00–04–80			

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	परगना / फाटी	मौजा	संस्मारक का नाम	संरक्षण के लिए प्रस्तावित राजस्व खसरा नं0	क्षेत्र (कनाल मरला)	स्वामित्व	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर	भोरंज	महाल अमन	बमसण	शिव मंदिर	877 878	01–01 बंजर कदीम 02–07 बंजर कदीम	जुमला मुश्तकरका मालकान	374, 58,25
						कुल	03–08		
						अकृष्ट 03–08			

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	परगना / फाटी	मौजा	संस्मारक का नाम	संरक्षण के लिए प्रस्तावित राजस्व खसरा नं0	क्षेत्र बीघा	स्वामित्व	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
हिमाचल प्रदेश	चम्बा	चम्बा	राजनगर	राजनगर 287	श्री महादेव भुवनेश्वर मंदिर	701 1643 2450	00–02–00 गैरमुमकिन देवस्थान 01–00–00 गैरमुमकिन मन्दिर 00–00–04 गैरमुमकिन मन्दिर	श्री महादेव भुवनेश्वर मंदिर मुकीमी देह	
					किता 3		01–02–04		

हिमाचल प्रदेश	चम्बा	चम्बा	राजनगर	राजनगर 287	श्री महादेव भुवनेश्वर मंदिर	1650 16 1649	00–04–00 धानी अव्वल 00–05–00 धानी अव्वल 00–14–00 धानी अव्वल	श्री महादेव भुवनेश्वर मंदिर वाकिया देह	
						किता 3	01–19–00		
				मिजान मुजारियान		किता 3	02–04–00 धानी अव्वल		
				मिजान हकीयत		किता 6	03–05–00		
						गैर मुमकिन 1–2, धानी अव्वल 2–3			

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	परगना / फाटी	मौजा	संस्मारक का नाम	संरक्षण के लिए प्रस्तावित राजस्व खसरा नं0	क्षेत्र बीघे	स्वामित्व	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
हिमाचल प्रदेश	मण्डी	थुनाग	मगरू	छतरी 414	देव मगरू महोदव मंदिर (कोठी सहित)	1160 / 136 / 1 49	6–19–19 आबादी 0–01–15 बउर काबले काश्त	आबादी देव मगरू महादेव वाक्य छतरी तमाम कमेटी दरान	1136 / 136
						कुल	7–01–14		

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	परगना / फाटी	मौजा	संस्मारक का नाम	संरक्षण के लिए प्रस्तावित राजस्व खसरा नं0	क्षेत्र हैक्टेयर	स्वामित्व	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा	जस्वां	मगरू	डाडासीबा	मंदिर राधा कृष्ण	280	0–22–16 गैर मुमकिन मंदिर अहाता	मंदिर राधा कृष्ण वजाहतिमाम गंगा दास पुत्र वासुदेव पुत्र अच्छरू निस्फ अश्वनी कुमार पुत्र व श्रीमती अंजुबाला पुत्री व श्रीमती रामकली विधवा जमनादास पुत्र वासदेव भाग बराबर निस्फ कोहितमाम	281,279, 300,301, 299,298, 297,296
						कुल	0–22–16 गैर मुमकिन मंदिर अहाता		

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	परगना / फाटी	मौजा	संस्मारक का नाम	संरक्षण के लिए प्रस्तावित राजस्व खसरा नं0	क्षेत्र बीघा	स्वामित्व	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
हिमाचल प्रदेश	मण्डी	सदर	महाल डी0पी0एफ0 पराशर धार	महाल डी0पी0एफ0 पराशर धार / 425	मंदिर पराशर देवता	18 20 21 22 23 24	16–13–03 गैर मुमकिन झील मंदिर 00–04–16 गैर मुमकिन धर्मशाला मंदिर 00–05–17 गैर मुमकिन मंदिर 00–01–19 गैर मुमकिन धर्मशाला मंदिर 00–01–05 गैर मुमकिन धर्मशाला मंदिर 146–11– 13 गैर मुमकिन अहाता मंदिर	हिमाचल प्रदेश सरकार	1136 / 136
						किता 6	163–18–13 गैर मुमकिन		

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	परगना / फाटी	मौजा	संस्मारक का नाम	संरक्षण के लिए प्रस्तावित राजस्व खसरा नं0	क्षेत्र बीघा	स्वामित्व	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
हिमाचल प्रदेश	चम्बा	चुराह	बैरा	देवीकोठी	चोन्डा (चामुण्डा) माता मंदिर	283 गैर मुमकिन मंदिर 282 गैर मुमकिन सैहन	0–03 0–12	हिमाचल प्रदेश सरकार	360,362 बीच में रास्ता, 280, 281, बीच में रास्ता व नाली 301
						किता 2	0–15	हिमाचल प्रदेश सरकार	

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	परगना / फाटी	मौजा	संस्मारक का नाम	संरक्षण के लिए प्रस्तावित राजस्व खसरा नं0	क्षेत्र बीघा	स्वामित्व	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
हिमाचल प्रदेश	मण्डी	सन्धोल	कमलाह	कमलाह–69	कमलाह किला	779	0–43–11 गैर मुमकिन हयाता किला	हिमाचल प्रदेश सरकार	

						955	00–01–72 गैरमुमकिन तालाब खण्डहर		
						956	00–01–98 गैरमुमकिन खण्डहर जाए तोपखाना		
						957	00–00–24 गैरमुमकिन खण्डहर मकान पहरेदारी		
						958	00–00–58 गैरमुमकिन बारादरवारी		
						959	00–00–33 गैरमुमकिन खण्डहर बारूदखाना		
						960	00–01–70 गैरमुमकिन खण्डहर कोट बरामदा		
						961	00–01–20 गैरमुमकिन तालाब		
						962	00–01–00 गैरमुमकिन खण्डहर धाम कोट		
						963	00–01–56 गैरमुमकिन सैहन तोपखाना		
						964	00–02–15 गैरमुमकिन सैहन तोपखाना		
						965	00–00–91 गैरमुमकिन खण्डहर तोपखाना		
						966	00–00–18 गैरमुमकिन तालाब		
						967	00–00–18 गैर खण्डहर प्रौल		
						968	00–00–31 गैरमुमकिन मकान पेहरेदार		
						969	00–00–91 गैरमुमकिन रास्ता पुख्ता		
						969 / 1	00–00–24 गैरमुमकिन खण्डर कमरा पेहरेदार		
						970	00–00–28 गैरमुमकिन खण्डर तालाब		

						971	00–00–08 गैरमुमकिन खण्डर गुप्त रास्ता		
						972	00–00–10 गैरमुमकिन खण्डर गुप्त कमरा		
						973	00–00–09 गैरमुमकिन गेट पहला		
						974	00–00–48 गैरमुमकिन प्रोल		
						975	00–00–40 गैरमुमकिन गेट दूसरा		
						976	00–00–33 गैरमुमकिन रास्ता		
						977	00–00–78 गैरमुमकिन खण्डर चबूतरा		
						977 / 1	00–00–36 गैरमुमकिन खण्डर बरामदा		
						978	00–00–36 गैरमुमकिन खण्डर चक्की		
						979	00–00–12 गैरमुमकिन खण्डर गेट तीसरा		
						980	00–00–33 गैरमुमकिन खण्डर बैठक		
						981	00–00–81 गैरमुमकिन तालाब खुश्क		
						982	00–00–61 गैरमुमकिन रास्ता पौडीदार		
						983	00–01–53 गैरमुमकिन खण्डर दफतर कैम्प		
						984	00–00–56 गैरमुमकिन गेट महल		
						985	00–01–60 गैरमुमकिन हयाता महल		
						986	00–00–20 गैरमुमकिन मकान रिहायशी चौकीदार		
						986 / 1	00–00–50 गैरमुमकिन तालाब		

						986 / 2	00–00–36 गैरमुमकिन तालाब		
						987	00–07–63 गैरमुमकिन खण्डर मैदान महलात		
						988	00–03–84 गैरमुमकिन खण्डर जाये महानात सिपाही		
						989	00–00–30 गैरमुमकिन खण्डर गुफा गुप्त		
						990	00–00–54 गैरमुमकिन खण्डर कमरा पेहरेदार मय कमरा वजीर		
						991	00–00–82 गैरमुमकिन खण्डर कोठी वजीर		
						992	00–00–18 गैरमुमकिन तालाब		
						993	00–04–95 गैरमुमकिन रास्ता पौड़ीदार		
						995	00–00–25 गैरमुमकिन सहन		
						997	00–00–94 गैरमुमकिन रास्ता		
						998	00–00–79 गैरमुमकिन खण्डर जाये तोपखाना		
						999	00–01–08 गैरमुमकिन तालाब पंच तीर्थी		
						1000	00–00–99 गैरमुमकिन खण्डर चौकी चौकीदार		
						1001	00–00–33 गैरमुमकिन खण्डर काली कुण्ड		
						1002	00–00–30 गैरमुमकिन मन्दिर शिवजी		

						1003	00–00–86 गैरमुमकिन मन्दिर शिवजी		
						1004	00–01–50 गैरमुमकिन खण्डर (चौकी) सिपाही		
						1005	04–12.–89 गैरमुमकिन हयाता किला		
						किता 54	08.05.56		
हिमाचल प्रदेश	मण्डी	सन्धोल	कमलाह	कमलाह–69	कमलाह किला	694 / 1	00.00.16 गैरमुमकिन मन्दिर शीतला माता		
						994	00–01–20 गैरमुमकिन मन्दिर बाबा कमलाहिया		
						996	00.00.09 गैरमुमकिन मन्दिर काली माता		
						किता 3	00.01.45		
						किता 57	गैर मजरूआ 00–01–45 गैरमुमकिन 08–05–56		

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित